

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1811 /2020 दिनांक 05.10.2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश/1690/2020 दिनांक 10.09.2020 के द्वारा श्री विनोद कुमार बागड़ी (RJ0714), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-02, जयपुर महानगर-II को दिनांक 28.09.2020 से 29.09.2020 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 26.09.2020 से 27.09.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से
[Handwritten Signature]
05.10.2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/84/2011/ 4512

दिनांक : 5.10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 1059 दिनांक 22.09.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्री विनोद कुमार बागड़ी (RJ0714), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-02, जयपुर महानगर-II
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-02, जयपुर महानगर-II
5. अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर-II

[Handwritten Signature]
सहायक रजिस्ट्रार